

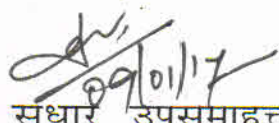
न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा।

परमिशन वाद सं०-.....15...../2016-17

प्रसंग...~~श्री. देवी. देवी. देवी.~~ अन्य..... बनाम...~~मनोज. कुमार. पंत.~~.....

प्रभाषी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा का पत्रांक ५११/वि. दिनांक १३.१०.१६
के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है।
आवेदक श्री. श्री. देवी. देवी. पति चेतन दास पिता/पति.....
ग्राम..... कोडरमा..... पो०..... पंचतल्ली..... थाना..... कोडरमा.....
जिला-कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46
(U.C.B) of 2nd Provision के तहत मौजा..... कोडरमा..... वार्ड नं०.....
थाना नं० 333..... थाना..... कोडरमा..... जिला-कोडरमा के खाता
नं०..... 33..... प्लॉट नं० 2659..... रकबा 0.48 ई. मध्ये.....
भूमि श्री. मनोज. कुमार. पंत..... पिता/पति..... मदन. बिंदु.....
ग्राम..... तिलौली..... पो०..... सूरमाटो..... थाना..... लखनपुर.....
जिला-कोडरमा के नाम से बिक्री करने हेतु आवेदन दाखिल
किया गया है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति जाँच
प्रतिवेदन के निमित्त अंचल अधिकारी,..... को भेजे।
साथ ही साथ आम ईशतेहार निर्गत करें। जाँच प्रतिवेदन एवं
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अभिलेख उपस्थापित करें।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
कोडरमा।

28.11.24

अभिलेख उपस्थापित।
उक्त वाद को अग्रसर करवाई हेतु
सहाय्यकारी के कार्यालय में हस्तांतरित
किया जाता है।


L.R.D.C.
28.11.24